2023/187

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक – पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थीया चन्द्रकला पत्नी गौरी शंकर ताखर जाति जाट निवासी 63, शिव विहार कॉलोनी मीनावाला करकपुरा सिरसी रोड जयपुर ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, मूल रसीद, वारिसान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया है कि मेरी माता श्रीमती गुडडी देवी पत्नी फताराम जाति जाट निवासी ग्राम मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 03.03.2023 को करवाई गई थी, उनका स्वर्गवास दिनांक 07.03.2023 को हो चुका है, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान अनिल गोदारा पुत्र रणजीत सिंह एवं हसन मोहम्मद पुत्र सफी मोहम्मद ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री विजय भाटी श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

/5/23

जिला पंजीयक महोदय